"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, 1933)

क्रमांक-4703/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2011), जो दिनांक 29 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगा.

धारा 16 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 16 की उपधारा (4) के खंड (क), (ख) एवं (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(4) (क) जिस दिन उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान किये जाने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी, आवेदक को विहित प्रारूप में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा.

(ख) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के जारी करने के पश्चात् आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के संबंध में आवश्यक साक्ष्य तथा दस्तावेज जिसमें कारोबार से संबंधित लेखायें भी होंगी, सत्यापन के लिये अपने समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदक से अपेक्षा करेगा. साक्ष्य, दस्तावेज तथा लेखाओं के प्रस्तुत हो जाने पर, आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा. विशिष्टियों के सही होने के संबंध में समाधान हो जाने पर, आयुक्त, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो पंद्रह दिवस के बाद की न हो, आवेदक को विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(ग) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के सत्यापन होने के पश्चात् यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है, तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन नामंजूर करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो पन्द्रह दिवस के बाद की न हो, आवेदक को जारी किया गया अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी किये जाने की तारीख से रद्द करेगा."

धारा 19 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) में, प्रविष्टि क्रमांक (3) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"(4) यदि कोई व्यापारी, ऐसे देय कर की राशि जो शोध्य हो गया था, का भुगतान आगामी वर्ष की प्रथम तिमाही के विवरण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व करने में विफल रहता है, तो ऐसी तारीख से उपखंड (तीन) की प्रविष्टि क्रमांक (3) के अधीन भुगतान योग्य ब्याज के अतिरिक्त 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने के लिये दायी होगा."

4. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) में शब्द "चालीस लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 41 का संशोधन.**

5. मूल अधिनियम की धारा 48 में,— **धारा 48 का संशोधन.**

(एक) उपधारा (1) की अंतिम पंक्ति में शब्द "ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील," के पश्चात् शब्द "जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अपर आयुक्त को तथा धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ), (ड) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील," अंत:स्थापित किये जाएं.

(दो) उपधारा (4), (5), (6) तथा (7) में, जहां कहीं शब्द "अपीलीय उपायुक्त" आया हो उसके पूर्व, शब्द "अपर आयुक्त या" जोड़ा जाए.

(तीन) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (5-क) जोड़ी जाए :—
"(5-क) जहां आयुक्त यह मानता है कि किसी अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित किया गया कोई आदेश, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो वह ऐसे आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकरण में अपील प्रस्तुत (फाइल) कर सकेगा"

6. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) में शब्द "अपीलीय उपायुक्त" के पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंत:स्थापित किया जाए. **धारा 49 का संशोधन.**

7. मूल अधिनियम की धारा 50 में जहां कहीं शब्द "अपीलीय उपायुक्त" आया हो उसके पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंत:स्थापित किया जाए. **धारा 50 का संशोधन.**

8. मूल अधिनियम की धारा 54 में जहां कहीं शब्द "अपीलीय उपायुक्त" आया हो, उसके पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंत:स्थापित किया जाए. **धारा 54 का संशोधन.**

9. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3) के खंड (क) में शब्द "अपीलीय उपायुक्त" के पश्चात् शब्द "तथा अपर आयुक्त" जोड़ा जाए. **धारा 56 का संशोधन.**

10. मूल अधिनियम की धारा 71 में, **धारा 71 का संशोधन.**

(एक) उपधारा (4) के खंड (क) में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" तथा शब्द "पच्चीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उपधारा (4) के खंड (ख) में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वाणिज्यिक कर विभाग में प्रचलित अधिनियमों तथा नियमों के पालन करने हेतु पूर्ण कम्प्यूटरीकृत कार्यप्रणाली लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत ई-रिटर्न, ई-रिफण्ड जैसे व्यवसाईयों के द्वारा विभाग में किये जाने वाले व्यवहारों का कम्प्यूटराईजेशन होने से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक है.

वाणिज्यिक कर विभाग में कम्प्यूटराईज्ड कार्य प्रणाली को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने के साथ ही कर अपवंचन की संभावनाओं को दूर करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन प्रस्तावित है.

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र लेने हेतु प्रतिभूति राशि का प्रावधान नहीं होने से कतिपय व्यवसाईयों द्वारा बोगस पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर अवांछित लाभ को रोकने एवं विवरण पत्र तथा देयकर जमा करने में त्रुटि करने की स्थिति में शास्ति के प्रावधान सख्त करने तथा विभाग की कार्य प्रणाली को गतिशील बनाने के उद्देश्य से संशोधन प्रस्तावित है.

2. अतः विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 16 मार्च, 2011

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 16, 19, 41, 48, 49, 50, 54, 56 तथा 71 का सुसंगत उद्धरण :—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 16 की उपधारा (4) (क) जिस दिन उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, "उस दिन" उक्त प्राधिकारी आवेदक को विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा.

(ख) खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के दिये जाने के पश्चात् आयुक्त आवेदन में दी गई विशिष्टियों का ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, सत्यापन करेगा.

(ग) यदि खंड (ख) के अधीन सत्यापन से आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो तीस दिन के बाद की न हो, उपधारा (10) के खण्ड (ग) या खंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार आवेदक को खंड के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसके जारी किये जाने की तारीख से रद्द कर देगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 19 की उपधारा (4) (क) यदि उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यापारी,—

(एक) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन विहित रीति में, किसी कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार देयकर की राशि का भुगतान नहीं करता है, या

(दो) उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करके उसमें, उसके द्वारा मूल विवरणी में दर्शाई गई कर की रकम से अधिक कर की रकम शोध्य होना दर्शाता है, या

(तीन) विवरणी नहीं देता है,
तो ऐसा व्यापारी—
(1) विवरणी के अनुसार उसके द्वारा देय कर, या
(2) पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार देय कर की रकम के अंतर या
(3) उस कालावधि के लिए, जिसके लिए उसने विवरणी नहीं दी है,

देय कर के संबंध में 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उस तारीख से जिसको कि ऐसा देय कर शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, चुकाने का दायी होगा.

स्पष्टीकरण — इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,—
(1) जहां चूक की कालावधि एक मास की कालावधि से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए देय ब्याज की संगणना आनुपातिक रूप से की जाएगी.

(2) "मास" से अभिप्रेत है तीस दिन.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 41 की उपधारा (2) प्रत्येक व्यापारी जिसकी कुल आय वर्ष में 40 लाख से अधिक है वह अपने लेखाओं की संपरीक्षा सी.ए. से विहित तारीख के पूर्व करायेगा और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जैसी की विहित की जाए देगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 48

(1) कोई भी व्यापारी या व्यक्ति जो उसके संबंध में धारा 21 के अधीन पारित किए गए शास्ति या शास्ति रहित कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के किसी आदेश से या धारा 22 के अधीन शास्ति सहित या शास्ति रहित पुनः कर निर्धारण के आदेश से या उस पर शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से या ऐसे किसी आदेश से जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय या आगत कर रिबेट में कमी होती हो या धारा 54 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित हो, विहित रीति में, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, अपीलीय उपायुक्त को कर सकेगा :

परंतु किसी ऐसे मामले में जिसमें कि धारा 36 के अधीन किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील वैसी ही रीति में कर सकेगा, और अपील फाइल करने के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में धारा 36 के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से उस तारीख, जिसको कि ऐसे आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश की तामील की गई हो, तक कि कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील में पारित किसी आदेश से, व्यथित कोई व्यापारी या व्यक्ति विहित रीति में ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा;

(3) अधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विरचित नियमों या विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपायुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी भी ऐसे अधिकारी को जो आयुक्त द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, यह अधिकार होगा कि उसे उपधारा (2) के अधीन अपील की सुनवाई में सुना जाए.

(4) कोई अपील,—

(एक) अपीलीय उपायुक्त द्वारा उपधारा (1) के अधीन, तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष में से,—

(क) उस दशा में, जब कि उस कालावधि के लिए जिससे कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, संबंधित है, समस्त विवरणियां फाइल कर दी गई हैं, तथा ऐसे विवरणियों के अनुसार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, ऐसे अतिशेष का दस प्रतिशत;

(ख) उस दशा में जब कि उस कालावधि के लिए जिससे कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, संबंधित है, एक या अधिक विवरणियां फाइल नहीं की गई हैं तथा कर का भुगतान नहीं किया गया है या उस दशा में जब कि ऐसी विवरणी या विवरणियां फाइल की गई हैं किंतु कर का भुगतान नहीं किया गया है, अतिशेष का,—

(एक) तैंतीस प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम एक तिमाही से संबंधित है;

(दो) पचास प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम दो तिमाही से संबंधित है; तथा

(तीन) पचहत्तर प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम दो तिमाही से अधिक से संबंधित है; के बराबर होगा.

(ग) उस दशा में, जब कि धारा 54 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, ऐसे अतिशेष का पचास प्रतिशत;

(घ) उस दशा में जब कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, धारा 22 के अधीन पारित किया गया है और उक्त धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, ऐसे अतिशेष का पचास प्रतिशत; और

(ङ) किसी अन्य दशा में ऐसे अतिशेष का पच्चीस प्रतिशत, और

(दो) * अधिकरण द्वारा उपधारा (2) के अधीन अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (1) के अधीन अपील में पारित आदेश के पश्चात् व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष में से ऐसे अतिशेष का बीस प्रतिशत नहीं चुका दिया गया है और अपील के ज्ञापन के साथ ऐसी रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न नहीं किया गया है और तदुपरि अधिकरण कर तथा/या शास्ति के अतिशेष की वसूली अपील का विनिश्चय होने तक के लिए रोक देगा;

परंतु जहां कोई व्यापारी खण्ड (एक) की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील के मामले में खण्ड (1) के एक से अधिक उपखण्डों में अंतर्गत आता है, वहां ऐसे व्यापारी को उस उपखण्ड के उपबंध लागू होंगे जो उच्चतम रकम के भुगतान की अपेक्षा करता है और अपीलीय उपायुक्त द्वारा अपील केवल तभी स्वीकार की जाएगी जब कि व्यापारी ने ऐसी रकम का भुगतान कर दिया है;

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील अपीलीय उपायुक्त के समक्ष तीस दिन के भीतर और अपीलीय उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील, उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की जानी है, संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएगी.

(6) *ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे,

(क) अपीलीय उपायुक्त प्रत्येक अपील का निपटारा ऐसी अपील फाइल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर करेगा, ऐसी अपील का निपटारा करते समय, अपीलीय उपायुक्त कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा किन्तु, मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा.

(ख) अधिकरण—

(एक) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा, या

(दो) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों को अपास्त कर सकेगा और उस अधिकारी को जिसके कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की निर्देशित की जाए, नवीन रूप से कर निर्धारण करे या शास्ति पुनः अधिरोपित करे.

(तीन) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे.

(7) अपीलीय उपायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, ऐसा आदेश, यथास्थिति, इस धारा की उपधारा (2) या धारा 49 की उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा तथा बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, ऐसा आदेश, धारा 55 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 49 की उपधारा (1) आयुक्त—

(एक) स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उपधारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा, या

(दो) आदेश की तारीख से उस कालावधि के भीतर, जो कि विहित की गई हो, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगाएगा.

और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसे जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर जैसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, * पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने के दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष के भीतर, जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो पारित कर सकेगा.

परन्तु आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नहीं करेगा—.

(क) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय उपायुक्त अथवा *अधिकरण के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है.

(ख) (i) कर का भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा या निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही होगा, अन्यथा नहीं, और

(ii) धारा 36 के अधीन किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा.

स्पष्टीकरण — आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 50

कोई भी व्यापारी अपील में, अपीलीय उपायुक्त या *अधिकरण या पुनरीक्षण में आयुक्त के समक्ष कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, उस दशा में के सिवाय पेश करने के लिए हकदार नहीं होगा जबकि दिया जाने के लिए उद्दिष्ट साक्ष्य है, जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने ग्रहण करने से गलत तौर पर इंकार कर दिया था या जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात् भी उस व्यापारी की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया जा सका था या जिसके पेश किए जाने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समय नहीं दिया गया था ; और प्रत्येक ऐसे मामले में अतिरिक्त साक्ष्य लेखबद्ध कर लिया जाने पर, चुनौती देने या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर आयुक्त को दिया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 54

(1) यदि आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या *अधिकरण का इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में यह समाधान हो जाता है कि व्यापारी ने अपनी कुल राशि (टर्न ओवर) या किसी माल के संबंध में क्रय कीमतों की कुल रकम छिपाई है या किसी वर्ष या उसके भाग के लिए अपनी विवरणी या विवरणियों में अपने यथास्थिति विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिष्टियां दी हैं यथास्थिति, आयुक्त का अपीलीय उपायुक्त या *अधिकरण इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाही शुरू करेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या अधिकरण द्वारा व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए, विहित प्ररूप में सूचना जारी कर के शुरू की जाएगी. व्यापारी की सुनवाई कर ली जाने पर यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या अधिकरण ऐसी कार्यवाही शुरू किए जाने की तारीख से एक कैलेंडर वर्ष के भीतर, व्यापारी को इस संबंध में निदेश देते हुए आदेश पारित करेगा कि वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम किंतु पांच गुने से अधिक नहीं होगी.

(3) यदि किसी व्यापारी द्वारा किसी कालावधि या उसके भाग के लिए अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार देय दर्शाया गया तथा चुकाया गया कुल कर धारा 18 के अधीन निर्धारित या पुनःनिर्धारित किए गए कुल कर के अस्सी प्रतिशत से कम है तो ऐसे व्यापारी के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अपनी कुल राशि (टर्न ओवर) या अपनी क्रय कीमतों का कुल योग छिपाया है या अपनी विवरणी या विवरणियों में अपने विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिष्टियां दी हैं या मिथ्या विवरणी या विवरणियों जब तक कि वह यथास्थिति आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या *अधिकरण के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि उक्त कुल राशि (टर्न ओवर) या क्रय कीमतों के कुल योग को छिपाना या विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिष्टियां देना या मिथ्या विवरणी या विवरणियां देना उसकी ओर से किसी कपट या घोर उपेक्षा के कारण नहीं था.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 56 की उपधारा (3)

(क) उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के उपबंध अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश में, या अपीलीय उपायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश में किसी भूल के परिशोधन को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि आयुक्त द्वारा किसी भूल के परिशोधन को लागू होते हैं.

(ख) अधिकरण अपने द्वारा पारित किये गये किसी आदेश का परिशोधन,—

(एक) स्वप्रेरणा से, ऐसे आदेश के पारित किए जाने की तारीख से छः माह के भीतर किसी भी समय; और

(दो) व्यापारी या आयुक्त द्वारा कोई आवेदन किया जाने पर ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से छः माह भीतर, किसी भी समय कर सकेगी.

धारा 71 की उपधारा (4) कोई भी नियम बनाते समय राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि —

(क) उसका भंग, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो और यदि अपराध चालू रहने वाला है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि अपराध चालू रहता है ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस रुपये से अधिक न हो, दण्डनीय होगा.

(ख) किसी नियम के उल्लंघन के संबंध में आयुक्त ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.